_कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

आर्टी 22/1/2020

संख्या: 124 /XXV– /2008 देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2020

सेवा में,

सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाड़पुर रिंग रोड, देहरादून।

विषयः– <u>अपील संख्या–A(D)30190/2019 के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के नोटिस संख्या–11153/उ0सू0आ0/अपील/2019–20 दिनांक 19–दिसम्बर–2019 का अवलोकन ग्रहण करने का कष्ट करें।

सूचना आयोग के नोटिस संख्या–11153/उ0सू0आ0/अपील/2019–20 दिनांक 19–दिसम्बर–2019 के द्वारा अपील संख्या **A(D)30190/2019** शिकायतकर्ता श्री नानक चन्द्र लोहिया के अपील दिनांक **17.9.2019** के क्रम में निम्न प्रकार स्पष्ट करना है कि:–

	अनुरोधकर्ता द्वारा की गयी द्वितीय अपील दिनांक 17.9.2019 के विन्दु	अनुरोधकर्ता के पत्र में की गयी शिकायत के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/की गयी कार्यवाही
1	मैने दिनांक 9.03.2019 को उनकी विज्ञापन सूचना हिन्दी समाचार पत्र हिन्दुस्तान में अग्रेजी में दिये जाने पर धारा–4 के अर्न्तगत कुछ सूचनायें मांगी छाया प्रति संलग्नक–1	इस कार्यालय के पत्र सख्या–2087 दिनांक 23 अप्रैल 2019 द्वारा शिकायतकर्ता को कार्यालय में धारित सूचनायें उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।(प्रति संलग्न)
2	प्रतिपक्षी–1 का उतर दि0 23.04.2019 की छायाप्रति संलग्नक–2	
3	अपीलार्थी–प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार प्राप्त व त्रुटि विवरण नीचे दिये गये है।	
	बिन्दुवार विवरण	
1	गजट विहित सूचना हिन्दी प्रयोग की अभिलेख किया दिनांक व क्रमाक. XXXXX प्रतिपक्षी–1 द्वारा दी गयी सूचना– कार्यालय में उपलब्ध नही। सरकारी सूचनायें, आयोग की संकलन आदेशो की संकलन की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है और सूचना प्राप्त करने का अधिकार आवेदक का है।	सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित न होने के कारण अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
2	विज्ञापन आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पद व प्रशासकीय प्रधान का नाम पद कोई सूचना नही दी केवल विज्ञापन पत्र संलग्न किया	विज्ञापन संख्या–819/ दिनांक 05 मार्च 2019 की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी जा चुकी है।
3	विज्ञापन पर व्यय राशि रू0 2,49,683 क्रय हुई है। सूचना प्राप्त किन्तु हिन्दी भाषा जनता के कोष का धन अविवेक पूर्ण व्यय जांच को आकृषित करता है।	अनुरोधकर्ता द्वारा विज्ञान पर व्यय धनराशि/अनुमानित व ऐसे गत वर्ष किये भुगतान का ब्यौरा की मांग की गयी थी फलस्वरूप गत वित्तीय वर्ष 2018–19 मे 19 विज्ञापन मद में कुल व्यय धनराशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित को सूचना दी गयी थी।

4	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम सूचना प्राप्त– प्रतिपक्षी 2 अपीलीय अधिकारी ने बिन्दुवार चाही गयी सूचना पर विचार नही किया अन्यथा द्वितीय अपील में आना नही पड़ता	कार्यालय पत्र संख्या–2357 दिनांक 16 मई 2019 द्वारा प्रथम अपील हेतु सुनवाई का दिनांक 27 मई 2019 को निर्धारित किया गया था जिसमें अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या–2481 दिनांक 31 मई 2019 द्वारा अपील पर सुनवाई का दिनांक 06 जून 2019 को निर्धारित किया गया। अपीलकर्ता द्वारा की गयी अपील संख्या–11/2019 की प्रथम अपील की सुनवाई की गयी। आदेश संख्या–2492/ **XXV**–12/2015 दिनांक 06 जून 2019 को जारी किये गये तथा प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी। जिसकी प्रति स्वयं अपीलार्थी द्वारा स्व प्रमाणित करते हुए अपील के साथ संलग्न की गयी है।
5	धारा– 4 की सूचनाओं का स्वैछिक प्रकटन प्रतिपक्षी का उतर त्रुटिपूर्ण और बिना सूचना के अधिकार अधिनियम का ज्ञान लिए है।	अनुरोध कर्ता को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 9.3.2019 के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत की गयी है

4–अपीलकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 9.3.2019 के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या–2087 दिनांक 23 अप्रैल 2019 द्वारा उपलब्ध करायी सूचना एवं उससे सम्बन्धित सूचनाओं की प्रति संलग्न की जा रही हैं।

4–मा0 आयोग के समक्ष मैं लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड स्वयं उपस्थित हूँ।

भवदीय,

B. S. Rawat

(बी0एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(प्रारूप–क)

1	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	23..3.2019
2	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का क्रमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है	11
3	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	05
4	यदि मांगी गयी सूचना से संबधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब– 1.अंतरितकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता 2. अंतरित बिन्दु 3. पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है	अन्तरित नही
5	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबधित है तब– 1. संबधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है 2. जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम, व पूर्ण पता 3. जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया 4. पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	नहीं
6	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब– 1.अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई 2. कुल मांगी गयी धनराशि 3. अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया 4. अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि 5. अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	नहीं
7	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब– 1. तृतीय पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक 2. तृतीय पक्ष का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि 3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	नहीं
8	आवेदक को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया गया है,	2087 दिनांक 23.4. 2019
9	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण	सूचना ससमय दि0 23.4.2019 को सूचना प्रेषित की गयी है
10	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक	श्री डी0पी0 डंगवाल,अनुभाग

	से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबधित लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	अधिकारी (दि027.2. 2019 सं 08.12. 2019) श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी

विभागीय लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर..B.S. Rawat

नाम—श्री बसन्त सिंह रावत,

पदनाम—लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी.

पूर्ण पता....कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।....

दूरभाष / फैक्स न0 / मो0न0— 0135—2713552

ई—मेल आई0डी0.....election09@gmail.com

(प्रारूप–ख)

1	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	8.5.2019
2.	प्रथम अपील/ विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	प्रथम–27.5.2019 तथा द्वितीय 6.6.2019
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किये जाने का पत्रांक व दिनांक	(एक)नोटिस संख्या–2357 दिनांक 16 मई 2019 (दो) नोटिस संख्या– 2481 दिनांक 31 मई 2019
4.	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	स्पीड पोस्ट
5.	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलीय और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	आदेश संख्या–2492/ XXV–12/2015 दिनांक 06 जून 2019 को जारी किये गये तथा प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी।
6.	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नही किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	निस्तारण किया गया है
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियो के द्वारा किया गया है तो संबधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	एक ही अपीलीय अधिकारी

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर..........

नाम.... श्री मस्तू दास....

पदनाम....प्रथम अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

पूर्ण पता....कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।....

दूरभाष/फैक्स न0/मो0न0– 0135–2713551

ई–मेल आई0डी0.....election09@gmail.com

संलग्नक-2

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 2087 / XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 23 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री नानक चन्द लोहिया (सचिव),
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी– 263139

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2129/हिन्दी दिनांक दिनांक 01 अप्रैल, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 05 बिन्दुओं से सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या– 01	उत्तराखण्ड सरकार का गजट संख्या–22/XXXVI(3) 2010/85(1) 2009 दिनांक 07 जनवरी, 2019 कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नही है। पुन: प्रेषती
बिन्दु संख्या– 02	विज्ञापन संख्या– 819 दिनांक 05 मार्च, 2019 (प्रति संलग्न) है
बिन्दु संख्या– 03	गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 19–विज्ञापन मद में कुल ₹ 2,49,683.00 की धनराशि व्यय हुई है।
बिन्दु संख्या– 04	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।
बिन्दु संख्या– 05	कार्यालय में धारित नही है।

संलग्न–यथोपरि।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

क्रम संख्या–14

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई०
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 25/XXXVI(3)/2010/85(1)/2009
देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009'** पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्रयोजनों और अन्य विषयों के लिए प्रयोग के निमित्त भाषा के रूप में हिन्दी के अंगीकार करने के लिए व्यवस्था करने का–

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में और विषयों के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के शासकीय प्रयोजनों और ऐसे विषयों के लिए जो इस अधिनियम के आगे चलकर प्रकट होंगे, प्रयोग में लाने के लिए भाषा के रूप में राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकृत कर सकता है।

इसलिए भारत गणराज्य के सांठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1– (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्य में हिन्दी का राजभाषा होना

2–संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में होगा :–

(क) (1) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश;

(2) भारत का संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम और उपविधि; और

(ख) राज्य के सभी या कोई शासकीय प्रयोजन;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।

संस्कृत का प्रयोग

3–संस्कृत भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जायं।

निरसन एवं अपवाद

4. (1) उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Official Language Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 14 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 07, 2010).

No. 25/XXXVI(3)/2010/85(1)/2009
Dated Dehradun, January 07, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND OFFICIAL LANGUAGE ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT No. 14 OF 2010)

To provide for adoption of Hindi as the languages to be used for the official purposes and other matters of the State of Uttarakhand.

WHEREAS, Article 345 and Clause (3) of Article 348 of the Constitution provided inter alia that the Legislature of a State may by law adopt Hindi in Devanagri script as the language to be used for official purposes of the State and for matters hereinafter appearing:

AN

Act

Be it enacted by State Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Official Language Act, 2009. — Short Title, extent and Commencement

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

2. Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constitution, Hindi in Devanagri script shall be the language used in respect of the following:-- — Hindi to be Official Language of the State

(a) (1) ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution;

(2) orders, notifications. rules regulations and by elaws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by Parliament or the Legislature of the State; and

(b) all or any of the Official Purposes of the State;

Provided that the State Government may by general of special order in this behalf permit the use of International form of Indian numerals for any Official purpose of the State.

3. In the interest of Sanskrit speaking people, Sanskrit language shall be used as second Official language for such purposes as may be notified by the State Government from time to time. — Use of Sanskrit

4. (1) The Uttar Pradesh Official Language Act, 1951 is hereby repealed in relation to Uttarakhand. — Repeal and sharing

(2) Notwithstanding such repeal specified in sub-section (1), anything done or any action taken under this Act shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 5 विधायी / 32--2010--1001-500 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

9411395097
मोबाइल

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED

To,

Dated: 05.04.2019

CHIEF ELECTION OFFICER
CHIEF ELECTORAL OFFICER 4 SUBHASH
NORTH BLOCK
DEHRADUN
UTTRAKHAND

SUBJECT: ADVERTISEMENT BILLS

Dear Sir,

Please find enclosed bills against your Release Order (820/xxv-08/2019) dated 05.03.2019.Which has been published in following editions as mentioned on your release order.

Detail of bills as per:-

Bill No	Order	Booking Un	Date	RO Number	RO Date	Amount
1803314841	4857585	HHDDN960	06.03.2019	820/xxv-08/2019	05.03.2019	4,738.10
1803314842	4857585	HHHDW980	06.03.2019	820/xxv-08/2019	05.03.2019	4,180.68
						8,918.78

Thanks & Regards

Ajay Goel
Mob No . +919690004130

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.

Regd. Office : Budh Marg, Patna - 800001, Bihar
Phone : +91 612 2223434 Fax : +91 612 2221545
E-mail : corporatedept@hindustantimes.com Website : www.hmvl.in
CIN : L21090BR1918PLC000013
GSTIN : 10AAGCS0920E1Z4

Du

71

Tax Invoice - Sale of advertising space in print media (HSN 998363)

Invoice No. :	1803314842	**Date :**	**Bill To :** CHIEF ELECTION OFFICER
Booking Id :	0004857585	06.03.2019	Chief Electoral Officer, 4 Subhash
Advertiser :	CHIEF ELECTION OFFICER - (409494)		North Block
Key No. :			DEHRADUN-248001
Agency Type :	Govt. Parties - Credit		**State Name :** Uttarakhand **State Code :** 05
Place of Supply :	Uttarakhand		**GSTIN :** AG.Code:409494
R.O. NO & Date :	820/xxv-08/2019-05.03.2019		

Insertion	Insertion Date	Editions	Size Width	Size Height	Ad Area	Colour/ B & W	Position	Rate (in Rs.)	Premium (%)/INR	Rebate, If any (%)/INR	Amount (in Rs.)
020/001	06.03.19	HH Haldwani CBU	8.00	14.00	112.00 SCM	BW	11	35.55	0.00	0.00	3,981.60

Passed for ₹ 4181/- Four thousand one hundred & Eighty one only
For C.E.O.

Passed for ₹ 4180/- Four thousand one hundred & Eighty only
For C.E.O.

Category : Tender	Due Date 06.03.2019			
	Box Charges		INR	0.00
Receipt Voucher No. :	Gross Amount		INR	3981.60
	Trade Discount		INR	0.00
	Taxable Value		INR	3981.60
	CGST	Rate 0.00%	INR	0.00
	SGST / UTGST	Rate 0.00%	INR	0.00
	IGST	Rate 5.00%	INR	199.08
	CESS	Rate	INR	
	Total Amount (Incl. Tax)		INR	4180.68
	Amount Paid Adjust. (if any)		INR	
	Tax Subject to reverse charge			

Amount (In Words) :

(INR) FOUR THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY AND SIXTY-EIGHT PAISE ONLY

E. & O.E.

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.

Authorised Signatory

PAN No. : AAGCS0920E TAN No. : PTNS00749A

The Payment should be made only either by Cheque / Demand Drafts in favour of **HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.** or through NEFT, RTGS as per bank details given below.

Bank Details

Bank Name : HDFC BANK LTD.
IFSC Code : HDFC0000003
Account No. : 00030330015031

THANK YOU FOR ADVERTISING WITH US

Office : Budh Marg, Patna - 800001, Bihar
one : +91 612 2223434 Fax : +91 612 2221545
il : corporatedept@hindustantimes.com Website : www.hmvl.in
L21090BR1918PLC000013
N : 10AAGCS0920E1Z4

10

Tax Invoice - Sale of advertising space in print media (HSN 998363)

Invoice No. :	1803328843	Date :	
Booking Id :	0004874888		10.04.2019
Advertiser :	CHIEF ELECTION OFFICER - (409494)		
Key No. :			
Agency Type :	Govt. Parties - Credit		
Place of Supply :	Uttarakhand		
R.O. NO & Date :	7633-07.04.2019		

Bill To : CHIEF ELECTION OFFICER
Chief Electoral Officer, 4 Subhash
North Block
DEHRADUN-248001

State Name : Uttarakhand State Code : 05
GSTIN : AG.Code:40949

Insertion	Insertion Date	Editions	Size Width	Size Height	Ad Area	Colour/ B & W	Position	Rate (in Rs.)	Premium (%)/INR	Rebate, If any (%)/INR	Amount (in Rs.)
010/001	10.04.19	HH Dehradun-All	25.00	16.00	400.00 SCM	4C	6	40.29	40.00	0.00	22,562

Passed for ₹ 23,691/- ₹ twenty-three thousand six hundred & ninety one only.
For C.E.O.

Passed for ₹ 23,690/- twenty-three thousand six hundred ninety only.
For C.E.O.

Category : Product Display Due Date 10.04.2019

Receipt Voucher No. :

Box Charges			INR	0.00
Gross Amount			INR	22562.40
Trade Discount			INR	0.00
Taxable Value			INR	22562.40
CGST	Rate	0.00%	INR	0.00
SGST / UTGST	Rate	0.00%	INR	0.00
IGST	Rate	5.00%	INR	1128.12
CESS	Rate		INR	
Total Amount (Incl. Tax)			INR	23690.52
Amount Paid Adjust. (if any)			INR	
Tax Subject to reverse charge				

Amount (In Words) :

(INR) TWENTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED NINETY AND FIFTY-TWO PAISE ONLY

E. & O.E.

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.

Authorised Signatory

PAN No. : AAGCS0920E TAN No. : PTNS00749A

The Payment should be made only either by Cheque / Demand Drafts in favour of HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD. or through NEFT, RTGS as per bank details given below.

Bank Details
Bank Name : HDFC BANK LTD.
IFSC Code : HDFC0000003
Account No. : 00030330015031

THANK YOU FOR ADVERTISING WITH US

ADVERTISEMENT CUTTING/VOUCHER TEAR SHEET ENCLOSED
Query related to this Invoice (if any) : 0135-6134400 (24)
Please read overleaf for terms & conditions.

1/1

र्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
– सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
Email-election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2712338(स्वीप), 2712055, 2713551

ख्या 820 /XXV–08/2019 देहरादून : दिनांक 05 March फरवरी 2019

सेवा में,

महा निदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
उत्तराखण्ड ।

विषयः– **Advertisement regarding Empanelment of Agencies under SVEEP : reg.**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि इसका उत्तराखण्ड राज्य के सर्वाधिक प्रचलन के तीन समाचार पत्रो मे डीएवीपी दरो पर ब्लेक एण्ड व्हाइट 08(**width**) गुना 14 (**height**) वर्ग सेमी के आकार मे प्रकाशित करा कर बिल प्रमाणीकरण के उपरान्त नियमानुसार भुगतान वास्ते इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करे ।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Chief Electoral Officer, Uttarakhand

Uttarakhand Secetariat Campus, First Floor, Vishwkarma Bhawan, Subhash Road, Dehradun,
Phone No. 0135-2712338 Email election09@gmail.com Web www.ceo.uk.gov.in

Letter No- 819 XXV-08/2019 Dehradun/Dated 05 March ~~Feb.~~, 2019

Short-Term Tender Notice for Expression of Interest(EoI) for Empanelment of Flex Printer & Vendor/Supplier Agencies

Chief Electoral Officer, Uttarakhand invites Expression of Interest (EoI) for Empanelment in following Categories:-

S.No.	Type of Work	Category
01	Flex & Vinyl Printing/Making & Installation of Various Outdoor Media Material i.e. Hording/Boards(Flex/Backlit/Digital/LED)/Standees/Sun pack/Backdrop etc.	Category-B
02	Vendor/Supplier for Supplying of Merchandise Item(s)	Category-C

- Sale of Tender (EOI) document: From 6th March to 11h March,2019
- Last Date & time of Submission : 12th March,2019 at 3.00 PM
- Opening Date & Time of Bid: 12th March,2019 at 4.00 PM

For details & Downloading the tender document please visit at tender link of CEO Portal www.ceo.uk.gov.in from dated 06.03.2019

Chief Electoral Officer
Uttarakhand

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्या: 2357 /XXV–(P-8)/2008 देहरादूनः दिनाक 16 मई, 2019.

सेवा में,

श्री नानक चन्द लोहिया (सचिव),
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी– 263139

विषय:– <u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपकी अपीलीय पत्र दिनांक 04 मई, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–2087 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई **दिनांक 27 मई, 2019** को निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

<u>पृ0 संख्या–2357 / XXV–(P-8)/2008, तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

rti 2019

प्राप्त - 8/5/19

नाजक चन्द्र लोहिया (सचिव)
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी-263139
मो० 9412036360

रजिस्टर्ड ए.डी.

पत्र सं० एए-174/ट-85
दि. 4-5-2019 2471

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील।

सेवा में,
श्रीमान् प्रथम-विभागीय अधिकारी जी,
कार्यालय- सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०ख०,
विश्वकर्मा भवन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर,
देहरादून।

प्रतिपक्षी : लोक सूचना अधिकारी, आपका कार्यालय।

माननीय महोदय

मेरे अपीलीय बिन्दु निम्न प्रकार हैं—

1. मैंने दि. 9-3-2019 के आवेदन द्वारा कुछ सूचनाएं चाही थी। छाया प्रति संलग्नक - 1

2. प्रतिपक्षी ने अपने पत्र दि. 23-4-2019 द्वारा जो जानकारी दी, वह ~~कि~~ त्रुटिपूर्ण, अधूरी व भ्रामक है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। छाया प्रति संलग्नक - 2

3. मैं वरिष्ठ नागरिक हूं आने जाने की असुविधा से अपील की नियत-तिथि पर उपस्थिति से दूर की प्रार्थना करता हूं, स्वीकार करें। अपीलीय निर्णय रजि० डाक द्वारा मुझे भेज दिया जाय।

4. विस्तृत तर्क, बिन्दुवार नीचे दिये हैं इन पर प्रजातन्त्र में जनता को शासक मानते हुए - सूचना उपलब्ध कराई जाय, जिस में चाही गई है। प्रतिपक्षी के उत्तर में - दायित्वशीलता एवं पारदर्शिता का पूर्ण रूप से अभाव है।

भवदीय -
(हस्ताक्षर)
(नाजक चन्द्र लोहिया)
अपीलार्थी। आवेदक

बिन्दुवार - प्रतिवेदन (तर्क)

आवेदन पत्र बिन्दु - 1. चाही गई सूचना - हिन्दी राजभाषा प्रयोग हेतु गजट सूचना दि. 7.1.10 की प्रतिलिपि दें जिसे हिन्दी दिया है।

प्रतिपक्षी : इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी - सूचना का अधिकार अधिनियम की

(हस्ताक्षर) शेष पृष्ठ - 2

नानक चन्द्र लोहिया (सचिव)
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी-263139
मो० 9412036360

पत्र सं. हर/74-I-85/2181
दि. 4-5-2019
सेवा में, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून

अनुसार दस्तावेजों अभिलेखों की प्रतिलिपि इच्छा करना प्रतिपक्षी का दायित्व व अधिकार है। जिस की उन्हें जानकारी प्रतीत नहीं होती है। अन्यथा - उन का पटल सहायक उन्हें अवगत कराता। उन्होंने अपने उत्तर के साथ राजभाषा अधिनियम 2009 दि. 07-1-2010 की छाया प्रति संलग्न की है जिस में उत्तराखण्ड राज्य के कार्यालयों के सभी कार्य में हिंदी प्रयोग की आज्ञा है। उत्तर में उन्होंने इसे 7 जनवरी 2019 पढ़ा है जब कि मेरे आवेदन पत्र में यह तारीख 07-01-2010 ही अंकित है।

बिन्दु - 3 (विज्ञापनों पर व्यय धन राशि 2,49,683 बताई गई है। हिन्दी भाषी जनता के कोष से उसे अंग्रेजी में सूचना देने पर खर्च, अविवेक पूर्ण व्यय है। यह जनता को सूचना के अधिकार से वंचित करने का - जानबूझ किया गया प्रयास है। यह राजभाषा नियम का उल्लंघन भी है। इस नियम के अनुसार 6 प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन का अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच का उपाय करे।

बिन्दु - 5 : चाही गई सूचना - आपके कार्यालय में छाया-पत्र स्वतः देय सूचना-पट जहाँ लगा है।

दी गई सूचना : कार्यालय में चरित नहीं है। त्रुटिपूर्ण है।

टिप्पणी : सू. के अधिकार (R.T.I) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की सूचना प्रदर्शित करने का प्रावधान (xvi) है। पटल सहायक ने इसे पढ़ा ही नहीं। उन्होंने आवेदन पत्र में दिये विकल्प पर भी ध्यान नहीं दिया और आवेदक को इस अपील का सहारा लेने को मजबूर किया।

राज्य निर्वाचन कार्यालय - प्रजातंत्र में जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है। प्रतिपक्षी ने इस सम्बन्ध में अपने उत्तर से हिन्दी भाषी जनता की भावनाओं की घोर उपेक्षा की है। इसे रोका जाना चाहिए।

भवदीय -

(अपीलार्थी आवेदक)

संलग्नक : 2

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 2481 /XXV–(P-8)/2008 देहरादूनः दिनाक 31 मई, 2019.

सेवा में,

श्री नानक चन्द लोहिया (सचिव),
भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी
(भारत के चुनाव आयोग से पंजीकृत)
आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी– 263139

विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या– 2357 दिनांक 16 मई, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के कम में अवगत कराना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपकी अपील पर सुनवाई दिनांक 27 मई, 2019 को निर्धारित की गयी थी, परन्तु आप उक्त अपील की सुनवाई में उपस्थित नही हुए।

संबंधित अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 06 जून, 2019 को पुनः तिथि निर्धारित की गयी है। अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या–2481 / XXV–(P-8)/2008 , तद्दिनांकित

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

rti 2019